न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– मुकेश कुमार चौधरी, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली)

वाद संख्याः– 1/दावा/2019

1. श्रीमती मनभरी आयु 71 वर्ष पत्नी श्री फतेह सिंह उर्फ फेफाराम जाति मीणा निवासी वार्ड नं0 16, ग्राम उमर, तहसील हिण्डोली, जिला–बून्दी (राज.)।

वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान तहसीलदार साहब हिण्डोली, जिला–बून्दी, राज0

प्रतिवादी

दावा अंतर्गत धारा :– 136 एल.आर.एक्ट

निर्णय दिनांक :– 30/03/2020

निर्णय

दावा के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि कृषि भूमि खसरा संख्या 1161 रकबा 19 बिस्वा, खसरा संख्या 1162 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा, खसरा संख्या 1163 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, खसरा संख्या 1164 रकबा 6 बिस्वा, खसरा संख्या 1165 रकबा 16 बिस्वा, खसरा संख्या 1166 रकबा 15 बिस्वा डेहरीशा नं0 खसरा संख्या 1167 रकबा 1 बीघा, खसरा संख्या 1168 रकबा 4 बीघा 09 बिस्वा, खसरा संख्या 1169 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा सून्डीशा नं0 खसरा संख्या 1170 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, खसरा संख्या 1171 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा कुल किता 11 कुल रकबा 24 बीघा 7 बीस्वा वाके ग्राम उमर पटवार हल्का उमर तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है जिसकी जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 के खात संख्या 427 में सरजू बाई, झमकू, कल्याणी, फुला, डाली पुत्रिया उंकार हिस्सा 1/8 व फेफाराम वल्द मोतीराम हिस्सा 1/8, रोशनलाल पिता मोती, मनीषा, नन्दा बाई, सीमा पुत्रिया मोती, मु0 गमाना बाई बेवा मोती हिस्सा 1/4, जय सिंह बालिग व लेखराज व मनोज नाबालिग पिसरान छगना वली माता संतोष देवी हिस्सा 7/32 हि0ब0, मानसिंह वल्द छगना हिस्सा 1/32, छीतर पि0 नारायण हिस्सा 1/6, मन्नी, मीरा पुत्रिया नारायण हिस्सा 1/12 कोम मीणा सा0देह खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में वादिया के पति श्री फतेहसिंह मीणा उर्फ फेफाराम वल्द मोतीराम मीणा निवासी उमर तहसील हिण्डोली जिला बून्दी का हिस्सा 1/8 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। वादिया के पति का वास्तविक नाम सरकारी रिकॉर्ड में फतेह सिंह मीणा है लेकिन घर का बोलता नाम फेफाराम है। ग्रामवासी उसे घर के नाम फेफाराम के नाम से संबोधित करते थे, इसलिए राजस्व कर्मचारियों ने राजस्व रिकॉर्ड में उसका नाम फतेह सिंह मीणा लिखने के स्थान पर

अंकित कर दिया। यही नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज चला आ रहा है जबकि ...री नोकरी व मृत्यु प्रमाण पत्र में वास्तविक नाम फतेह सिहं मीणा अंकित है। वादिया पति श्री फतेह सिंह उर्फ फेफाराम का स्वर्गवास हो गया है लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में वास्तविक नाम फतेहसिंह के स्थान पर फेफाराम बोलता नाम दर्ज होने वादिया के नाम नामान्तकरण नही खोला जा रहा है। वादिया के पति फतेह सिंह उर्फ फेफाराम का स्वर्गवास होने से उसके हिस्से की उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि की कानूनन खातेदार कृषक वादिया बन गई है लेकिन जमाबंदी में वादिया के पति का वास्तविक नाम दर्ज नही होने वादिया का नाम बतौर खातेदार दर्ज नही किया जा रहा है। वादिया अपने स्वामित्व व अधिपत्य की उपरोक्त वर्णित कृषि भूमियों के राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार फेफाराम वल्द मोतीराम के नाम का इन्द्राज दुरूस्त करवाकर उसके स्थान पर वास्तविक नाम फतेह सिंह उर्फ फेफाराम वल्द मोतीराम निवासी उमर दर्ज कराने की कानूनी रूप अधिकारी है। वादिया ने प्रतिवादी से कई बार मौखिक व लिखित में उक्त इन्द्राज दुरूस्ती के लिए निवेदन किया लेकिन प्रतिवादी ने वादिया के पति के घरेलू नाम का इन्द्राज दुरूस्त कर वास्तविक नाम फतेह सिंह अभी तक दर्ज नही किया है जिससे राजस्व रिकॉर्ड में वादिया का नाम दर्ज नही किया गया है जिससे वादिया को उक्त भूमि के सुधार कृषि ऋण व रहन, विक्रय व हस्तान्तरण में बाधा आ रही है। वादिया को अधिकार प्राप्त है कि वह माननीय न्यायालय से अपने पति के बोलते नाम फेफाराम वल्द मोतीराम जाति मीणा निवासी उमर के इन्द्राज को दुरूस्त करवाकर उसके स्थान पर संशोधित वास्तविक नाम फतेह सिंह उर्फ फेफाराम वल्द मोतीराम जाति मीणा निवासी उमर दर्ज करावें। इस सम्बन्ध में वादिया द्वारा प्रतिवादी को कई बार लिखित व मौखिक रूप से निवेदन करने के उपरान्त भी कोई सुनवाई नही करने पर वादिया ने जरिये अभिभाषक रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 17.09.2018 को इस आशय का धारा 80 जा0दी0 का 2 माह का नोटिस भिजवाया कि वादिया के पति के बोलते नाम फेफाराम वल्द मोतीराम जाति मीणा निवासी उमर के इन्द्राज को दुरूस्त कर उसके स्थान पर संशोधित वास्तविक नाम फतेह सिंह उर्फ फेफाराम वल्द मोतीराम जाति मीणा निवासी उमर दर्ज कर देवें, अन्यथा बाद गुजरने मियाद नोटिस सक्षम न्यायालय में कानूनी कार्यवाही की जावेगी। उक्त नोटिस प्रतिवादी को प्राप्त हो गया है। उक्त नोटिस की अवधि गुजर जाने के उपरान्त भी प्रतिवादी द्वारा वादिया के पति का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त कर वास्तविक नाम दर्ज नही किया है। इसलिए वाद कारण वादिया को रजिस्टर्ड नोटिस भिजवाने के दो माह बादस से निरन्तर पैदा हो रहा है जो वर्तमान तक जारी है। वाद निर्धारित कोर्ट फीस पर पेश है। वाद में वर्णित कृषि भूमियां ग्राम उमर तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में विस्थित होने से न्यायालय श्रीमान को वाद श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है। वाद पत्र अवधि मध्य पेश है। तलबाना, सम्मन शुल्क अलग से पेश है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादी स्वीकार फरमाया जाकर निम्न आशय की डिक्री पारित की जावें :– विवादित कृषि भूमि में वादिया के पति के बोलते नाम फेफाराम वल्द मोतीराम जाति मीणा निवासी उमर के इन्द्राज को दुरूस्त कर उसके स्थान पर संशोधित वास्तविक नाम फतेह सिंह उर्फ फेफाराम वल्द मोतीराम जाति मीणा निवासी उमर दर्ज किया जावें। उपरोक्त के बाबत प्रतिवादी को तहरीर रिपोर्ट

जाकर निर्देशित किया जावे कि वह न्यायालय आदेश की शीघ्र से शीघ्र पालना ...ायालय में पेश करे। अन्य न्यायोचित सहायता जो सुलभ हो वादीगण को प्रदान ...ायी जावें।

दावा दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से जवाब पेश कर कथन किया कि राजस्व जमाबन्दी में फेफाराम के स्थान पर फतेह सिंह उर्फ फेफाराम किया जाना न्यायहित में होगा।

हमने वाद पत्र पर वकील प्रार्थीयां की बहस सुनी। वकील प्रार्थीयां ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थीयां के पति का सही नाम फतेह सिंह वल्द मोतीराम मीणा है जो सही है जिसे जमाबंदी खाता संख्या 427 की कृषि भूमि खसरा संख्या 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171 कुल किता 11 कुल रकबा 24 बीघा 7 बीस्वा ग्राम उमर पटवार मंडल उमर में वादीया के पति का नाम फेफाराम के स्थान पर फतेह सिंह उर्फ फेफाराम वल्द मोतीराम मीणा दर्ज किया जावें।

वकील वादिया द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में प्रार्थीयां द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों आधार कार्ड नम्बर 288171990671 व प्रार्थीयां के पति के मृत्यु प्रमाण पत्र क्रमांक 156 दिनांक 17.06.2007 ग्राम पंचायत उमर में भी प्रार्थियां के पति का नाम फतेह सिंह दर्ज है। अतः मुताबिक दस्तावेज/प्रस्तुत जवाब के जमाबंदी में अंकित फेफाराम वल्द मोतीराम के अंकन को विलोपित कर प्रार्थीयां के पति का सही नाम फतेह सिंह उर्फ फेफाराम वल्द मोतीराम जाति मीणा दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वाद प्रार्थीयां स्वीकार किया जाकर भूमि खाता संख्या 427 की कृषि भूमि खसरा संख्या 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171 कुल किता 11 कुल रकबा 24 बीघा 7 बीस्वा ग्राम उमर पटवार मंडल उमर में वादीया के पति का नाम फेफाराम के स्थान पर फतेह सिंह उर्फ फेफाराम वल्द मोतीराम मीणा दर्ज करने आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(मुकेश कुमार चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली